

## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110 001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



सा०/No.: 5-1(70)/2009-PD

Dated

22.11.2024

प्रेषक

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

From

Joint Secretary (Admn.)

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hgrs./Units

6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के संबंध में।

Revision of Dearness Allowance to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission - reg.

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मझे. उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 07.11.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/6(1)/2024-ई.।।(बी) को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हआ है ।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Office Memorandum No. 1/6(1)/2024-E.II(B) dated 07.11.2024 on the above subject for your kind information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

(Chhering Tobden/छेरिंग तोबदन)

Sr. Deputy Secretary (PD)/व. उप सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्न/Encl.: यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1. सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website

2. कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Website: http://www.csir.res.in

Fax: 91-11-23714788

सं. 1/6(1)/2024-ई. ॥ (बी) भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

\*\*\*\*

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 7 नवंबर, 2024

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त कर रहे केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 3 जून, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3(1)/2008-ई.॥(बी) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते (डीए) की दर, जो 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधन वेतनमान/ग्रेड में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रख रहे हैं, 01.07.2024 से मूल वेतन के मौजूदा दर 239% से बढ़ाकर 246% कर दी जाएगी।

- 2. इस मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के का. ज्ञा. सं.1(3)/2008-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित प्रावधान इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय लागू रहेंगे।
- 3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को उन मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी संगठनों के ध्यान में लाया जाए, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के वेतनमान अपना लिए हैं।
- इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अभिमन्यु साहु)

उप सचिव,भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि (मानक अनुमोदन सूची के अनुसार)।

## No. 1/6(1)/2024-E.II(B) Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure

North Block, New Delhi Dated the 7<sup>th</sup> November, 2024

## OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of Dearness Allowance to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pay scale/Grade Pay as per 6<sup>th</sup> Central Pay Commission

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/3(1)/2008-E.II(B) dated 3<sup>rd</sup> June, 2024 on the subject mentioned above and to say that the rate of Dearness Allowance (DA) in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies, who are continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6<sup>th</sup> Central Pay Commission, shall be enhanced from the existing rate of 239% to **246**% of Basic Pay **w.e.f. 01.07.2024**.

- 2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(3)/2008-E.II(B) dated 29<sup>th</sup> August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.
- 3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.
- This issues with the approval of Competent Authority.

(Abhimanyu Sahoo)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Govt. of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).